सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड

NATIONAL DAIRY PLAN

MISSION MILK

THE NEXT REVOLUTION

राष्ट्रीय डेयरी योजना

भारत विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। वर्ष 2010-11 में भारत का कुल दूध उत्पादन 12.18 करोड़ टन रहा।

योजना आयोग के अनुमान एवं सकल घरेलू उत्पाद की लगातार उच्च वृद्धि के कारण हुए सुधार के पश्चात यह संभावना है कि दूध की माँग 2016-17 तक (12वी पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष) लगभग 15.5 करोड़ टन तथा 2021-22 तक लगभग 20 करोड़ टन होगी। दूध की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए अगले 15 वर्षों में वार्षिक वृद्धि को 4 प्रतिशत से अधिक रखना आवश्यक है।

अतः प्रजनन तथा पोषण पर केन्द्रित कार्यक्रम द्वारा वर्तमान पशु झुण्ड की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए एक वैज्ञानिक तरीके से योजनाबद्ध बहुराज्य पहल आरंभ करना अत्यावश्यक है। राष्ट्रीय डेयरी योजना (एनडीपी) की परिकल्पना पन्द्रह वर्षों की अवधि को ध्यान में रखते हुए की गई है क्योंकि एक अधिक उत्पादक पशु को उत्पन्न करने में तीन से पाँच वर्ष की अवधि अपेक्षित होती है तथा दूध उत्पादन वृद्धि के लिए प्रणाली को विकसित तथा विस्तार करने में इतना समय लगता है।

राष्ट्रीय डेयरी योजना का प्रथम चरण, जो मुख्यतः विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा, छः वर्षों की अवधि में लागू किया जाएगा, इसके निम्नलिखित उद्देश्य होंगे:

(i) दुधारू पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि में सहायता करना तथा इसके द्वारा दूध की तेजी से बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के लिए दूध उत्पादन में वृद्धि करना; तथा

(ii) ग्रामीण दूध उत्पादकों को संगठित दूध-संसाधन क्षेत्र की बृहत पहुँच उपलब्ध करने में सहायता करना।

परियोजना परिव्यय – चरण I

घटक	क्रियाकलाप	परिव्यय (करोड़ ₹ में)
घटक 'क'	नस्ल सुधार	715
	पशु पोषण	425
घटक 'ख'	गाँव आधारित अधिप्राप्ति प्रणाली	488
घटक 'ग'	परियोजना प्रबंधन तथा गहन अध्ययन	132
	उप योग*	**1760**
	अंतिम कार्यान्वयन एजेंसियों (ईआईए) का योगदान	282
	एन.डी.डी.बी. का योगदान	200
	कुल योग	**2242**

*निधि का स्रोत:
विश्व बैंक -आई.डी.ए. ₹ 1584 करोड़
भारत सरकार - ₹ 176 करोड़

राष्ट्रीय डेयरी योजना का कार्यान्वयन

योजना के प्रथम चरण में बहु आयामी पहलों की श्रृंखलाएं 2012-2013 से शुरू होकर छः वर्षों की अवधि तक कार्यान्वित की जानी हैं।

वैज्ञानिक प्रजनन और पोषण के माध्यम से उत्पादकता में बढ़ोत्तरी

प्रजनन

कृत्रिम गर्भाधन में, उच्च आनुवंशिक योग्यता के साँड़ों से प्राप्त वीर्य के प्रयोग से ही किसी भी बड़ी आबादी में आनुवंशिक प्रगति लायी जा सकती है। दुधारू पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने की आवश्यकता है।

➢ **रोग मुक्त एवं उच्च आनुवंशिक योग्यता के गाय, भैंस और साँड़ों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित संतान परीक्षण और वंशावली चयन द्वारा उत्पादन एवं जर्सी और होल्सटीन फ्रीजियन (HF) साँड़ / भ्रूण अथवा वीर्य का आयात**

अपेक्षित उत्पादन

- संतान परीक्षण (पी टी) और वंशावली चयन (पी एस) के माध्यम से विभिन्न नस्लों के 2500 उच्च आनुवंशिक योग्यता के साँडों का उत्पादन और 400 विदेशी साँड़ों / भ्रूणों का आयात

संतान परीक्षण (पी टी) के माध्यम से साँड उत्पादन करने के लिए चयनित नस्लें:
भैंस: मुर्रा और मेहसाना
गाय: एच एफ, एच एफ संकर, जर्सी संकर और सुनंदिनी

वंशावली चयन (पी एस) के माध्यम से चयनित नस्लें:
भैंस: जाफ्फ़राबादी, बन्नी, पंढरपुरी और नीली-रावी,
गाय: राठी, साहिवाल, गिर, कांकरेज, थारपारकर और हरिआना

उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले युवा मुर्रा साँड़

➢ **ए और बी श्रेणी के वीर्य उत्पादन केन्द्रों को मजबूत बनाना और उच्च गुणवत्ता तथा रोग मुक्त वीर्य का उत्पादन करना**

अपेक्षित उत्पादन

- योजना के अंतिम वर्ष में लगभग 10 करोड़ उच्च गुणवत्ता के रोग मुक्त वीर्य खुराकों का सालाना उत्पादन

➢ **मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedures - SOP) का अनुकरण करते हुए एक पेशेवर सेवा प्रदाता के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान वितरण सेवाओं के लिए एक प्रायोगिक मॉडल की स्थापना**

एक आधुनिक वीर्य संसाधन प्रयोगशाला में उत्तम विनिर्माण प्रथाओं का अनुकरण

कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं में जवाबदेही और विश्वसनीय आंकड़ों के संग्रह एवं ट्रैकिंग के द्वारा ही आनुवंशिक प्रगति के लाभ की मात्रा को मापा जा सकता है।

एसओपी का पालन करते हुए कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं का संचालन करना

अपेक्षित परिणाम

- लगभग 3000 प्रशिक्षित मोबाईल कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन यह सुनिश्चित करेंगे कि मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का पालन, आंकड़ों का संग्रह और ट्रैकिंग करते हुए पेशेवर सेवाएं किसान के दरवाजे पर वितरित हो रही हैं।
- प्रायोगिक मॉडल एक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर मॉडल का मार्ग दिखलाएगा और कृत्रिम गर्भाधान वितरण के लिए एक पूरी तरह से नया दृष्टिकोण पेश करेगा।
- राष्ट्रीय डेयरी योजना के अंत में प्रति वर्ष, चालीस लाख कृत्रिम गर्भाधान किसान के दरवाज़े पर किए जाएंगे।
- कृत्रिम गर्भाधान की संख्या, प्रति गर्भ धारण 4 से घटा कर 2 से भी कम की जाएगी।

यह सब तब संभव हो सकता है यदि जैव सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय हों जो साँड उत्पादन क्षेत्रों और वीर्य उत्पादन केन्द्रों में पशुओं के रोगों को निरोध और नियंत्रित करें। राज्य सरकारों को साँड़ उत्पादन क्षेत्रों और वीर्य उत्पादन केन्द्रों को पशुओं में संक्रामक और स्पर्शजन्य रोगों की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 2009 के तहत 'रोग नियंत्रण क्षेत्र' घोषित करने, नियमित टीकाकरण और टीकाकरण पश्चात निगरानी, कान-टैगिंग के माध्यम से टीका लगाए हुए पशुओं की पहचान और रोग निदान प्रयोगशालाओं को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए रोग मुक्त उच्च आनुवंशिक योग्यता वीर्य ही प्रयोग किया जाता है।

स्थानीय जानकार व्यक्ति उत्पादक को आहार संतुलन के बारे में सलाह देते हुए।

पोषण

संतुलित आहार खिलाने पर ही दुधारू पशु अपनी आनुवंशिक क्षमता के अनुरूप दूध का उत्पादन करते हैं। इस पद्धति द्वारा खिलाने से न केवल उनके स्वास्थ्य और उत्पादकता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बल्कि यह दुग्ध उत्पादन की लागत को भी काफी कम करता है, क्योंकि दूध उत्पादन में आने वाली लागत में आहार का अनुमानतः 70 प्रतिशत का योगदान है, जिससे किसान की आय में बढ़ोतरी होती है। आहार संतुलन के लिए राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा एक सरल एवं आसानी से उपयोग होने वाला कम्प्यूटरीकृत सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है।

आहार संतुलन का एक अतिरिक्त लाभ मीथेन उत्सर्जन स्तर में कमी करना है, जोकि ग्रीन हाउस गैसों में एक महत्वपूर्ण कारक है।

➢ **दूध उत्पादकों को दुधारू पशुओं के लिये राशन संतुलन एवं पोषक तत्वों के बारे में 40,000 प्रशिक्षित स्थानीय जानकार व्यक्ति (LRP) परामर्श सेवाओं द्वारा उनके घर–घर जाकर उन्हें शिक्षित करेंगे**

➢ **किसानों को उन्नत किस्मों के उच्च गुणवत्ता चारा बीज उपलब्ध करा कर चारे की पैदावार बढ़ायेंगे एवं साइलेज बनाने और चारा संवर्धन का प्रदर्शन किया जायेगा**

अपेक्षित परिणाम

- 40,000 प्रशिक्षित स्थानीय जानकार व्यक्ति आहार संतुलन के बारे में 40,000 गाँवों के लगभग 27 लाख दुधारू पशुओं पर परामर्श प्रदान करेंगे।
- 7,500 टन प्रमाणित चारा बीज का उत्पादन

गाँव आधारित अधिप्राप्ति प्रणाली को सुदृढ़ करना

दूध उत्पादन कार्य में लगभग 7 करोड़ ग्रामीण परिवार संलग्न हैं, जिसमें अधिकतर छोटे, सीमांत एवं भूमिहीन किसान हैं। डेरी सहकारिता छोटे पशुपालक, विशेषकर महिलाओं के समावेश और आजीविका को सुनिश्चित करती है।

यह वांछित है कि सहकारी क्षेत्र बेचने योग्य अतिरिक्त दूध से संगठित क्षेत्र द्वारा हैंडल किए जाने वाले वर्तमान 50 प्रतिशत के हिस्से को बनाए रखे।

➢ **दूध को उचित तथा पारदर्शी तरीके से इकट्ठा करने और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की गाँव आधारित दूध संकलन प्रणाली स्थापित करना तथा उसका विस्तार करना**

➢ **वर्तमान डेयरी सहकारिता को सुदृढ़ करना और उत्पादक कंपनियों अथवा नई पीढ़ी की सहकारिताओं को ग्रामीण स्तर पर दूध मापन, परीक्षण, संकलन और दूध प्रशीतन से संबंधित बुनियादी ढाँचा स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देना**

➢ **संस्थागत ढाँचा निर्माण तथा प्रशिक्षण के लिए सहायता देना**

डेरी उद्योग द्वारा महिलाओं का सशक्तिकरण

अपेक्षित परिणाम

- 23,800 अतिरिक्त गाँवों को सम्मिलित करना

प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण

इस परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए कुशल तथा प्रशिक्षित मानव संसाधन अनिवार्य तथा महत्वपूर्ण हैं। फील्ड में काम करने वाले कार्मिकों का प्रशिक्षण एवं विकास करना इस परियोजना के अतर्गत एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होगा। क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण तथा प्रौद्योगिकी के प्रोत्साहन के लिए शिक्षा अभियान और गाँव स्तर पर उन्नत प्रक्रियाओं को अपनाना भी एक मुख्य पहल होगी। यह अनुमान है कि एनडीपी के अंतर्गत लगभग सभी स्तर के 60,000 कार्मिकों को प्रशिक्षण तथा पुनः अभिविन्यास की आवश्यकता होगी।

परियोजना प्रबंधन तथा गहन अध्ययन

राष्ट्रीय डेयरी परियोजना के अन्तर्गत की जाने वाली पहल, विभिन्न भौगोलिक स्थानों पर फैली हुई हैं। इसलिए विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए आईसीटी (सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी) पर आधारित प्रणालियों को एकीकृत करना आवश्यक है।

➢ ***विभिन्न गतिविधियों के एकीकरण के साथ–साथ विभिन्न स्तरों पर निगरानी तथा रिपोर्टिंग के लिए आईसीटी पर आधारित सूचना प्रणाली लागू करना; आवश्यक विश्लेषण करना तथा परियोजना कार्यान्वयन में आवश्यक परिवर्तन में सहायता देना***

➢ **आधारभूत, मध्य–कालिक एवं परियोजना समापन सर्वेक्षण एवं विशिष्ट सर्वेक्षण/अध्ययन करना**

➢ **गहन अध्ययन करना तथा अध्ययन अनुभवों का दस्तावेज बनाना**

अपेक्षित परिणामः

- परियोजना की गतिविधियों की प्रभावशाली निगरानी तथा समन्वय
- वार्षिक योजनाओं को समय पर तैयार करना तथा लागू करना
- परियोजना की प्रगति तथा परिणामों की नियमित समीक्षा तथा प्रतिवेदन करना

दूध उत्पादकों को बेहतर आहार पद्धतियों पर शिक्षित करना

परियोजना क्षेत्र

एनडीपी चौदह मुख्य दूध उत्पादन करने वाले राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल पर केन्द्रित रहेगा।

देश का 90 प्रतिशत से अधिक दूध उत्पादन इन राज्यों में होता है, इनके पास 87 प्रतिशत प्रजनन योग्य गाय एवं भैस तथा 98 प्रतिशत चारा संसाधन हैं।

हांलाकि, इसका लाभ सम्पूर्ण देश में होगा। उदाहरण के लिए, उच्च आनुवंशिक गुण (एचजीएम HGM) वाले साँड़ सारे ए और बी वीर्य स्टेशनों पर उपलब्ध रहेंगें और उच्च गुणवत्ता वाला रोग मुक्त वीर्य देश के सभी दुग्ध उत्पादकों तक पहुँचेगा।

पात्रता मानदंड

राज्यों को इस परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए वातावरण बनाने हेतु आवश्यक विनियामक/नीति सहायता के लिए वचनबद्ध होना होगा जैसे कि

- योग्य प्रजनन नीति को अपनाना;
- कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम लघु पशु चिकित्सा सेवा के अंतर्गत अधिसूचित न किया गया हो;
- एआई डिलीवरी के मूल्य को धीरे-धीरे बढ़ाना ताकि इसमें पूरी लागत आ जाए;
- राज्य में एआई डिलीवरी के लिए वीर्य केवल ए तथा बी श्रेणी के वीर्य केन्द्रों से प्राप्त करना;
- सभी प्रजनन गतिविधियों के लिए डीएडीएफ (DADF) द्वारा जारी सामान्य प्रोटोकोल तथा एसओपी को अपनाना; तथा
- पशु अधिनियम (2009) में संक्रामक रोगों के निवारण तथा नियंत्रण के अधीन राज्य नियमों को अधिसूचित करना।

अंतिम कार्यान्वयन एजेंसियाँ (ईआईए)

एनडीडीबी एनडीपी को ईआईए के द्वारा लागू करेगी। ईआईए का चयन विशिष्ट पात्रता मानदण्ड के आधार पर किया जाएगा, जिसमें संस्थागत/शासन तथा वित्तीय पहलू सम्मिलित होंगे। इसके अतिरिक्त, एनडीपी के प्रत्येक घटक के लिए विस्तृत मानदण्ड हैं जिसमें तकनीकी पहलू शामिल हैं।

ईआईए में शामिल होंगे राज्य सहकारी डेरी महासंघ, जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ, सहकारी उद्यम जैसे कि उत्पादक कंपनियाँ, राज्य पशुधन विकास बोर्ड, केन्द्रीय पशु (गाय-बैल) प्रजनन फार्म (सीसीबीएफ), केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन तथा प्रशिक्षण संस्थान (सीएफएसपी एंड टीआई), चारा उत्पादन तथा प्रदर्शन के क्षेत्रीय स्टेशन (आरएसएफपी एंड डी) पंजीकृत समितियाँ/न्यास (गैर सरकारी संस्थाएं), धारा 25 के अंतर्गत गठित कंपनियाँ, सांविधिक निकायों की सहायक कंपनियाँ, आईसीएआर के संस्थान तथा पशु चिकित्सा/अनुसंधान संस्थान/विश्वविद्यालय जो राष्ट्रीय विषय संचालन समिति (एनएससी) द्वारा प्रत्येक गतिविधि के लिए निश्चित पात्रता मानदण्ड को पूरा करते हैं।

कार्यान्वयन व्यवस्थाएं

कार्यान्वयन व्यवस्था इस प्रकार है:

- राष्ट्रीय विषय संचालन समिति के प्रमुख, सचिव डीएडीएफ, भारत सरकार होंगे, यह समिति नीतिगत तथा कार्यनीति संबंधी सहायता प्रदान करेगी।
- परियोजना विषय संचालन समिति के प्रमुख, मिशन निदेशक (एनडीपी) होंगे, यह समिति योजना को अनुमोदन देगी तथा प्रगति का अनुश्रवण करेगी।
- परियोजना प्रबंधन इकाई, एनडीडीबी में स्थित होगी जिसमें बहु विषयक दल होगा जो परियोजना के कार्यान्वयन को प्रबंधित करेगा।

दीर्घकालिक लाभ

समग्र लाभों के रूप में, एनडीपी से वैज्ञानिक पद्धति तथा व्यवस्थित प्रक्रियाएं स्थापित होंगी, जिससे यह आशा की जाती है कि देश में दूध उत्पादन करने वाले पशुओं की आनुवंशिकी अनुकूल और निरंतर सुधार के पथ पर आगे बढ़ेगी। इससे देश के दुर्लभ-प्राकृतिक संसाधनों का अधिक बुद्धिमता से उपयोग होगा; मीथेन उत्सर्जन में कमी होगी; विपणन किए जाने वाले दूध की गुणवत्ता में सुधार होगा; विनियामक तथा नीतिगत उपायों को सुदृढ करने में सहायता मिलेगी जिससे देश में, डेरी उद्योग में भविष्य में होने वाली वृद्धि के लिए योग्य वातावरण तैयार होगा; तथा लघु धारक दूध उत्पादकों की आजीविका को सुधारने में योगदान होगा जो भारतीय दूध उत्पादन प्रणाली की आधारशिला हैं।

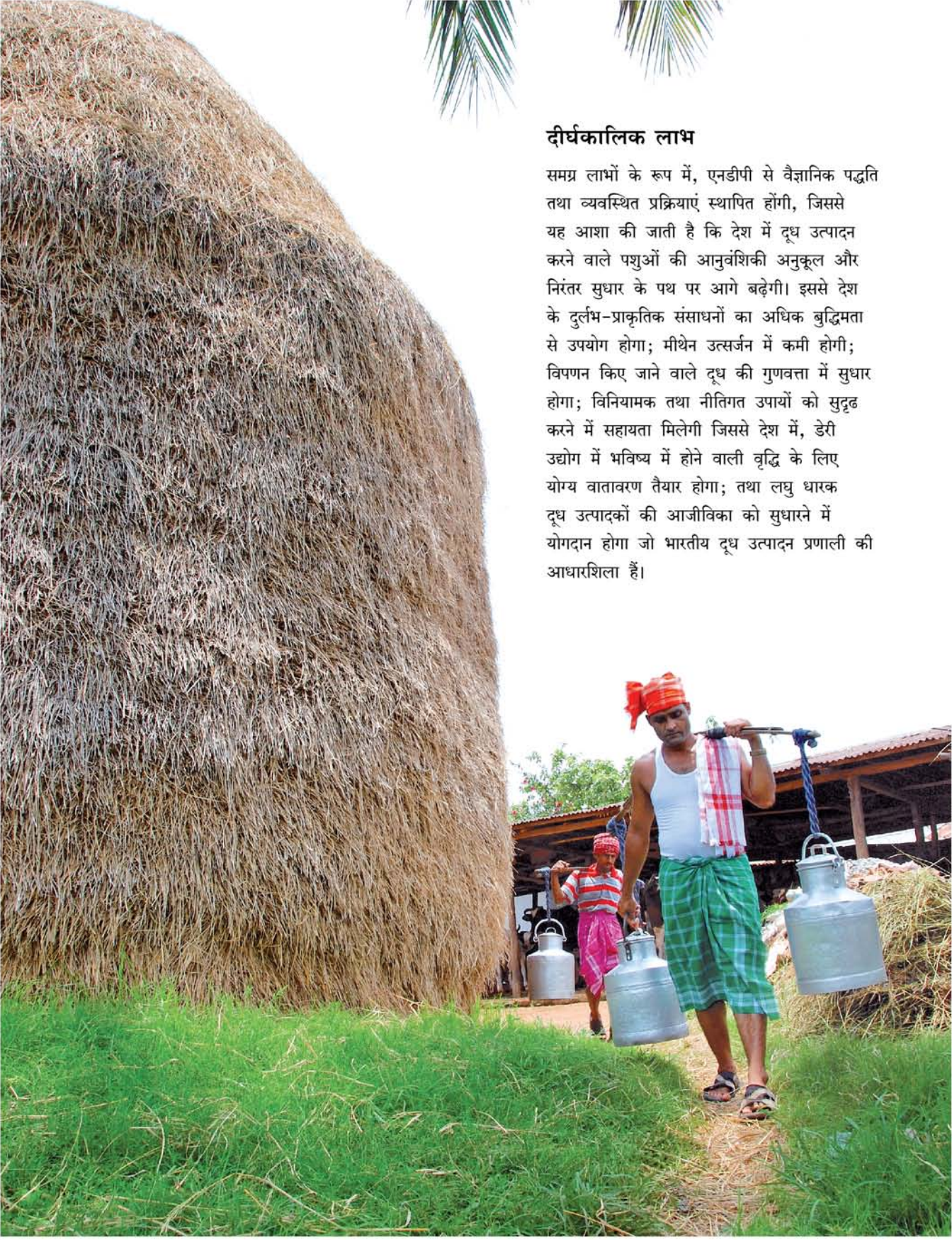

परियोजना प्रबंधन इकाई

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड
पो.बॉ.सं. 40, आणंद - 388 001 • दूरभाषः 02692-260148/260149/260160
फैक्सः 02692-260157 • ई-मेलः pmu@nddb.coop
www.nddb.coop